

नीलामी सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात के आदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात परिसर स्थित माती के पूर्वोत्तर दिशा में स्थित **वाहन स्टैण्ड** की वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 21.02.2026 तक कार्यालय समय में नजारात अनुभाग में आवेदन जमा करा सकेंगे तथा दिनांक- 25.02.2026 को समय 4.30 बजे जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के मीटिंग हॉल में **बन्द निविदा के आधार पर** समिति के समक्ष सम्पन्न करायी जाएगी।

नीलामी की शर्तें व नियम

- 1 नीलामी हेतु आवेदन फॉर्म नजारात अनुभाग से दिनांक 19.02.2026 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- 2 इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त वाहन स्टैण्ड की स्थिति एवं क्षेत्रफल का निरीक्षण केन्द्रीय नाजिर को पूर्व सूचना के उपरान्त कर सकते हैं।
- 3 प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अपना हैसियत प्रमाण पत्र केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कानपुर देहात को प्रस्तुत करना होगा।
- 4 जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के वाहन स्टैण्ड, का उपयोग केवल उपरोक्त के लिए किया जायेगा किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।
- 5 जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित माती के वाहन स्टैण्ड, को ठेके पर उठाने की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को आवेदन प्रस्तुत करते समय **30000/- रुपये** का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा। जो माननीय जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात के नाम देय होगा।
- 6 आवेदन फॉर्म के साथ उपरोक्त धनराशि की डी0डी0 जमा करनी होगी। डी0डी0 न होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 7 प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को कभी किसी न्यायालय ने दण्डित न किया हो तथा उसका कोई सिविल या दाण्डिक वाद जनपद न्यायालय कानपुर देहात में लम्बित नहीं होना चाहिए। इस बावत अपना नोटरी शपथपत्र भी प्रस्तुत करेंगे।
- 8 स्वीकृति के उपरान्त निविदाकर्ता को उक्त राशि का चौथाई तुरन्त जमा करना होगा, और शेष धनराशि 01.03.2026 तक जमा करना होगा। डी0डी0 की धनराशि कुल राशि में समायोजित की जाएगी।
- 9 स्वीकृति के उपरान्त भागीदार जिसकी निविदा स्वीकृत होगी, के द्वारा स्वीकृत ठेके की 1/4 धनराशि तुरन्त एकमुश्त जमा नहीं करने पर उसकी डी0डी0 की राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः जब्त समझी जाएगी।
- 10 वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत नीलामी धनराशि मु0 720000/- के 10 प्रतिशत बढोतरी के उपरान्त बन्द निविदा **792000/-** से अधिक होनी चाहिए।
- 11 नीलामी की अन्तिम स्वीकृति माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात महोदय द्वारा की जाएगी।
- 12 नीलामी प्रक्रिया बिना कोई कारण बताए स्थगित या अस्वीकृत माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात द्वारा की जा सकती है।
- 13 उपरोक्त वाहन स्टैण्ड के उपयोग की अवधि दिनांक-31.03.2027 को स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उसके बाद तुरन्त सम्बन्धित अध्यासी द्वारा उपरोक्त का अध्यासन केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कानपुर देहात को हस्तगत किया जायेगा।

सूचना आज दिनांक-09.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

(सुरेन्द्र सिंह)

अध्यक्ष नीलामी समिति

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोट सं015
कानपुर देहात